विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस) के पदनामों में परिवर्तन।

इस मंत्रालय के कार्यालय जापन संख्या E-12034/1/2016-प्रशा. दिनांक 25.4.2019 में
निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:-

के लिए  

पदें

1. वरिष्ठ अनुवादक अधिकारी (एसटीओ)
2. कुनिष्ठ अनुवादक अधिकारी (जेटीओ)

अन्यथा, कौशल

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23738126

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन सभी संगठनों के प्रमुख
2. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी स्कंपंग प्रमुख
3. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी प्रभाग प्रमुख
4. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी शाखा प्रमुख
5. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अनुभाग/एकक
6. सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशा.)/संयुक्त सचिव (आईएस) एवं जीडब्ल्यूई/संयुक्त सचिव एवं
वित्तीय सलाहकार) के निजी सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
7. एन.आई.ए. स्व. सेल, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय - मंत्रालय के इंटर-नेट पर
अपलोड करने हेतु।
विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस) के पदनामों में परिवर्तन।

अध्यक्षाधीपी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजभाषा विभाग के पत्र संख्या 16/24/2018/र.भ./सेवा दिनांक 11.2.2019 (संग्रह) के द्वारा केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस) के वरिष्ठ अनुवादक एवं कनिष्ठ अनुवादक के पदनाम में दिनांक 11.2.2019 से निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>पद का मौजूदा नाम</th>
<th>सेवा</th>
<th>नया नाम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>वरिष्ठ अनुवादक</td>
<td>सीएसओएलएस</td>
<td>वरिष्ठ अनुवादक अधिकारी (एसडीओ)</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>कनिष्ठ अनुवादक</td>
<td>सीएसओएलएस</td>
<td>कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी (जेटीओ)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

अनुलग्न: यथा उपरोक्त।

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23738126

सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन सभी संगठनों के प्रमुख
2. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी स्तंभ प्रमुख
3. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी प्रभाग प्रमुख
4. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी शाखा प्रमुख
5. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अनुभाग/एकक
6. सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशा.)/संयुक्त सचिव (आईएस एवं जीडब्ल्यूएएस/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार) के निजी सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
7. एन.आई.एस. सेल, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय - मंत्रालय के इंटर-नेट पर अपलोड करने हेतु।
अदेश

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस) के वरिष्ठ अनुवादक एवं कनिष्ठ अनुवादक के पदनाम में निभायित सार परिवर्तन करने के लिए एलडीसीएस सदस्य प्राधिकारी का अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क. स.</th>
<th>पद का मौजूदा नाम</th>
<th>सेवा</th>
<th>नया नाम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(i)</td>
<td>वरिष्ठ अनुवादक</td>
<td>सीएसओएलएस</td>
<td>वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (एसटीओ)</td>
</tr>
<tr>
<td>(ii)</td>
<td>कनिष्ठ अनुवादक</td>
<td>सीएसओएलएस</td>
<td>कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जेटीओ)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. नामांकली में परिवर्तन तत्काल भ्रमण से लागू होगा। तथापि, पदनाम में परिवर्तन से भविष्य में वेतनमान/लेवल में किसी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होगा।

3. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा नियमावली, 2015 में आवश्यक संशोधन वाद में किए जाएगे।

(सी. एच. मोन)  
उप सचिव (सेवा)  
दूरभाष: 234388002

प्रति प्रशिक्षण:-

1. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भागीदार सभी मंत्रालय/विभाग
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारी
3. राजभाषा विभाग के वेबसाइट।